

INDIA NON JUDICIAL




Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

ACC Name-ANKIT GUPTA
ACC Code-UP142M4704
ACC Address-35 LANE, NEHRU TRUSTEES SOCIETY, KANPUR
Mobile-8828789413
Case No-31

Certificate No.	: INUP0121048830089V
Certificate Issued Date	: 29-AUG-2023 09:04 PM
Account Reference	: NEWMACC (SV) up142M4704 PHAYAGRAJ SADAR UP-AHD
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP142M470407908262004905V
Purchased by	: VIKASH SEWA SANSTHAN SHAHBAJPUR HANUMANGANJ PRJ
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	: 100
First Party	: VIKASH SEWA SANSTHAN SHAHBAJPUR HANUMANGANJ PRJ
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: VIKASH SEWA SANSTHAN SHAHBAJPUR HANUMANGANJ PRJ
Stamp Duty Amount (Rs.)	: 100 (One Hundred only)

1100210071007100



1100

INUP0121048830089V

प्रारूप-अ

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थानों की सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाली नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप-

हम अखिलेश पाण्डेय अध्यक्ष एवं कुलुन पाण्डेय प्रबन्धक जनश: अध्यक्ष एवं सचिव विकास सेवा संस्थान, शहबाजपुर, हनुमानगंज, प्रयागराज शपथपूर्वक निम्नप्रतु बधान करते हैं -

1. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा सिविलियन फार्मसी कालेज, शहबाजपुर, हनुमानगंज, प्रयागराज नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी के नाम ग्राम शहबाजपुर, पोस्ट हनुमानगंज, तहसील हरिद्वार, जनपद प्रयागराज में गाटा संख्या 17/0.1260हे०, गाटा संख्या 38/ 0.0580हे०, गाटा संख्या 43ख/0.0520हे०, गाटा संख्या 88ख/0.0440हे०, गाटा

Disclaimer:
1. The authenticity of the e-stamp certificate should be verified at www.eshastamp.gov.in or using e-Shiksha Mobile App of State Treasury. Any discrepancy in the details on this Certificate and its details on the website / Mobile App, renders it invalid.
2. The user of checking the legitimacy is on the part of the certificate holder. Any discrepancy raised against the Certificate Authority.


संख्या 188/0.3190हे0, गाटा संख्या 254/0.4470हे0, गाटा संख्या 31/340/0.0680हे0, गाटा संख्या 253/0.4390हे0, गाटा संख्या 37/0.0580हे0, 247/0.02390हे0 का 1/2 भाग अर्थात् 0.9250हे0 अर्थात् 9250 वर्गमीटर (कुल रकबा 0.9250हे0) भूमि है। उक्त आराखियों की लीज डीड शिवश्याम फार्मसी कालेज के नाम दिनांक 13-07-2022 को निष्पादित करा दी गयी है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सांसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 17/0.1260हे0, गाटा संख्या 38/0.0580हे0, गाटा संख्या 43ख/0.0520हे0, गाटा संख्या 68ख/0.0440हे0, गाटा संख्या 188/0.3190हे0, गाटा संख्या 254/0.4470हे0, गाटा संख्या 31/340/0.0680हे0, गाटा संख्या 253/0.4390हे0, गाटा संख्या 37/0.0580हे0, 247/0.02390हे0 का 1/2 भाग अर्थात् 0.9250हे0 अर्थात् 9250 वर्गमीटर (कुल रकबा 0.9250हे0) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्था की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सांसाइटी की बैठक दिनांक 13-07-2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सांसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

कि इस संस्था में फार्मसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

7. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 तखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0




आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भली-भांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होंगा।

Asic
हो सचिव
मुम्बई

Ac
हो अध्यक्ष



Sr. *Akhilash Pandey*
Identified by *[Signature]*
Advocate to be his/her affidavit
are true and correct which is here to
verified and attested
IDENTIFIED BY
ADVOCATE PRAKASH
21/09/23